राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

1 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
2 बिहार पुलिस सर्विस एसोसियेशन
3 बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ
4 बिहार अभियंत्रण सेवा संघ
5 बिहार वित्त सेवा संघ
6 बिहार पशुपालन सर्विस एसोसियेशन
7 बिहार पुलिस एसोशियेसन
8 बिहार योजना एवं विकास सेवा संघ
9 बिहार सचिवालय सेवा संघ
10 बिहार पुलिस मेन्स एसोशियेसन
11 बिहार लेखा सेवा संघ
12 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ
13 बिहार प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ
14 बिहार कृषि सेवा संघ
15 बिहार सांख्यिकी सेवा संघ
16 बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संघ
17 बिहार आशुलिपिक सेवा संघ
18 बिहार आपूर्त्ति सेवा संघ
19 बिहार पंचायत सेवा संघ

पत्रांक :– 66 दिनांक :– 28/6/2015

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–61/2002 एम0 नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरूद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या–19114/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा0 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। प्रोन्नति बाधित करना न्यायोचित नहीं है सरकार का दायित्व कि इसका न्यायोचित रास्ता निकालकर प्रोन्नति समिति की बैठक पर लगायी रोक को हटाते हेतु प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त करे। प्रोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से अनुजाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के कर्मचारी/पदाधिकारी का प्रोन्नति बाधित हो गया है। कर्मचारी/पदाधिकारी सवेानिवृत्त हो रहे है उन्हें पेंशन की राशि का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी/पदाधिकारी का मनोबल गिरता जा रहा है। विभिन्न पदों पर रिक्तियों बढ़ती जा रही है जिसका असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है।

प्रोन्नति समिति की बैठक के रोक के विरोध में आज दिनांक 28.06.2015 को जी0पी0गोलम्बर, गाँधी मैदान से डाकबंगला चौराहा तक रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसके पूर्व दिनांक 29.05.2015 को काला बिल्ला लगाकर सरकारी कार्य का निष्पादन किया गया तथा दिनांक 07.06.2015 को एक दिवसीय धरना/उपवास किया गया।

राज्य सेवा संवर्ग का आन्दोलन का मकसद कोई नई मांग नहीं है बल्कि

(i) प्रोन्नति देने पर लगाई गई रोक को हटाने एवं सरकार के द्वारा बनाये गये प्रावधान के तहत प्रोन्नति देने के लिए है।

(ii) दिनांक 12.08.2014 को प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगाये जाने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी/पदाधिकारी को देय प्रोन्नति/पेंशन आदि का लाभ उसी तिथि से देने के लिए है, जिस तिथि को प्रोन्नति देय था।

(iii) प्रोन्नति नहीं देने के कारण अगली प्रोन्नति की समय–सीमा वही मानी जाए, जिस तिथि से प्रोन्नति देय था।

सरकार के द्वारा जायज हक नहीं दी जाती है तो हड़ताल पर जाना राज्य सेवा संवर्ग की मजबूरी हो जायेगी।

(सुशील कुमार)
संयोजक
सेवा संवर्ग संघर्ष समिति
मो0–9431091417

प्रतिलिपि :– निदेशक, सभी दूरदर्शन/संपादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) को प्रशारणार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
संयोजक

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
संयोजक

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/महासचिव/महामंत्री/सचिव उपरोक्त सेवा संवर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
संयोजक